



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आषाढ़ 1948 (श10)
(सं० पटना 749) पटना, बुधवार, 8 जुलाई 2026

गन्ना उद्योग विभाग

आदेश

7 जुलाई 2026

सं० 02/रेगु-2-800-04/2019/1183/ई०का०—बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम-1981 की धारा-27 (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अनिल कुमार झा, ईखायुक्त, बिहार नीचे उल्लिखित राज्य की चीनी मिलों के लिए पेराई सत्र 2026-2027 के निमित्त अपेक्षित ईख की मात्रा (Normal Cane Requirement-NCR) उनके नाम के सामने अंकित रूप में निर्धारित करता हूँ :-

क्र० सं०	चीनी मिल का नाम	जिला का नाम	पेराई वर्ष 2026-27 के लिए अपेक्षित ईख की मात्रा (लाख क्विंटल में)
1	2	3	4
1.	हरिनगर सुगर मिल्स लि०, हरिनगर	पश्चिमी चम्पारण	165.00
2.	तिरुपति सुगर्स लि०, बगहा	पश्चिमी चम्पारण	115.00
3.	मगध सुगर एण्ड इनर्जी लि०, यूनिट-न्यूस्वदेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज	पश्चिमी चम्पारण	126.00
4.	मंझौलिया सुगर इंडस्ट्रीज प्रा० लि०, मंझौलिया	पश्चिमी चम्पारण	77.00
5.	विष्णु सुगर मिल्स लि०, गोपालगंज	गोपालगंज	57.00
6.	मगध सुगर एण्ड इनर्जी लि०, यूनिट-भारत सुगर मिल्स, सिधवलिया गोपालगंज	गोपालगंज	66.00

क्र० सं०	चीनी मिल का नाम	जिला का नाम	पेराई वर्ष 2026-27 के लिए अपेक्षित ईख की मात्रा (लाख क्विंटल में)
7.	मगध सुगर एण्ड इनर्जी लि०, यूनिट-हसनपुर सुगर मिल्स, हसनपुर	समस्तीपुर	70.00
8.	एच०पी०सी०एल० बायोफ्यूल्स लि०, सुगौली इकाई, पूर्वी चम्पारण	पूर्वी चम्पारण	45.00
9.	एच०पी०सी०एल० बायोफ्यूल्स लि०, लौरिया इकाई, प० चम्पारण	पश्चिमी चम्पारण	43.00
10.	रीगा सुगर कम्पनी लि०, रीगा	सीतामढ़ी	45.00
		कुल :	809.00

आदेश से,
अनिल कुमार झा,
ईखायुक्त, बिहार।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 749-571+10-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>